

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 242/2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री उमाकांत भारद्वाज।

:: आदेश ::

11.03.2019

नोटिस जारी हो।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर नोटिस आगामी चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी हो।

अभिलेख तलब किया जावे।

अंतरिम स्थगन पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों व मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थागण को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई तिथि तक वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से, वादग्रस्त सम्पत्ति का किसी तीसरे पक्ष को बेचान/अंतरण नहीं करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-